



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 582 राँची, मंगलवार, 3 अग्रहायण, 1942 (श०)
24 नवम्बर, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-04/2020-383/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-07/11/2020 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकरण अधिनियम, 2020
(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 06, 2020)

प्रस्तावना :- झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) उपकरण अधिनियम, 2020 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु विधेयक।

खनिज धारित भूमि पर उपकरण लगाने हेतु एक अधिनियम जिससे मजदूरों/प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास/रोजगार का प्रावधान, जिससे कुटीर/ग्रामोद्योग, लघु एवं मंझले उद्योग के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार के अवसर, नौकरियों के नुकसान के कारण उत्पीड़न को कम करना, कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए आपदा के लिए झारखंड राज्य के मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में वृद्धि और अन्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

भारत गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो:-

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) उपकर अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- परिभाषाएँ :- इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,

(1) "प्राधिकार" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकार।

(2) "उपकर" का तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा-4 के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत लगाये गये उपकर।

(3) "आपदा" का अर्थ किसी भी क्षेत्र में होने वाली तबाही, महामारी, दुर्घटना या गंभीर घटना है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है, या दुर्घटना या लापरवाही से होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन का काफी नुकसान होता है या रोजगार का नुकसान होता है या मानवीय पीड़ा या क्षति, और संपत्ति की क्षति, या पर्यावरण का क्षरण, या विनाश, और इस तरह की प्रकृति या परिमाण का हो जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकावला करने की क्षमता से परे है;

(4) "डिस्पैच" का अर्थ धारक द्वारा किसी भी स्थान पर खनिज असर भूमि के बाहर रन-ऑफ-माइन / खनिजों के डिस्पैच से है जो इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(5) "महामारी" का अर्थ है राज्य में घटना, बीमारी के मामले, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, या सामान्य अपेक्षा से अधिक स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य संबंधी अन्य घटनाएँ और इसमें COVID-19 शामिल हैं;

(6) "निधि" का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए; सेस " COVID-19 PANDEMIC FUND " की आय जमा करने के उद्देश्य से बनाया गया एक कोष; और निर्धारित तरीके से उपयोग किया जाएगा;

(7) "सरकार" का अर्थ है झारखंड राज्य सरकार;

(8) "शासी निकाय" का अर्थ ऐसे प्राधिकारियों का निकाय है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गठित हैं;

(9) "धारक" का अर्थ खनन पट्टा धारक या खदान लीज या खनिज धारित भूमि (ओं) के अनुज्ञप्ति या पता लगाना अनुज्ञप्ति या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति है;

(10) "खनिज निक्षेपित भूमि" का अर्थ है खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला निक्षेप का क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष) प्रावधान अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; के अंतर्गत भूमि जोत या आवंटित या प्रदत्त समझा जानेवाला खनिज अधिकार के लिए दी गई भूमि जोत यानि खनन करने, खदान पट्टे या खोज पट्टे या पूर्वक्षण लाईसेंस या पेट्रोलियम खनन पट्टे के तहत समाहित भूमि जोत ।

(11) "खनिज उत्पादन" का अर्थ है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज का उत्पाद;

- (12) "खनिज अधिकार" का अर्थ है खनन और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत खनन पट्टे या खदान पट्टे या खोज पट्टे या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टे के तहत पट्टेदार या डीमड पट्टेदार को प्रदत्त या नवीनीकृत अधिकार ;
- (13) "अधिसूचना" का अर्थ राज्य की आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है;
- (14) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (15) "धारा" का अर्थ इस अधिनियम के तहत धारा/धाराएँ है ;
- (16) "राज्य" का अर्थ है झारखंड राज्य;
- (17) "अनुसूची" का अर्थ है कि इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची; तथा

इस अधिनियम में शब्द और भाव जो प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ वही होगा जो संबंधित खनिज अधिनियम और सभी संबंधित नियमों में परिभाषित है, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 53) शामिल है; ऐसे सभी अधिनियमों के तहत अधिसूचित या जारी किये गये नियम; अधिसूचना या विनियम में निर्दिष्ट।

3. खनिज धारित भूमि पर उपकर और उपकर का संग्रह-

- (1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे खनिज के प्रेषण पर, खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा संसद द्वारा लगाए गए किसी भी सीमा के अधीन, ऐसे खनिज के संबंध में खनिज धारित भूमि पर COVID-19 उपकर और इस तरह की दरों पर, जैसा कि मामला हो सकता है, रुपये प्रति सौ / क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं; जैसा कि किया जा सकता है निर्धारित तरीके से वहाँ लगाया और एकत्र किया जाएगा,
- (2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया उपकर धारक द्वारा निर्धारित तरीके से खनिज के प्रेषण पर उस रीति से देय होगा जो विहित किया जाय ।
- (3) उपकर की धनराशि को COVID-19 PANDEMIC FUND के नाम से जाने जानेवाले निधि में जमा किया जायेगा ।
- (4) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत उपकर लगाना वैध होगा।
- (5) इस खंड की उप-धारा (4) के होते हुए राज्य सरकार कारण दर्शाते हुए शासी निकाय की सिफारिश पर अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के तहत उपकर की लेवी का विस्तार अन्य एक वर्ष एवं आनेवाले वर्षों के लिए भी कर सकती है।
- (6) " निधि" के प्रबंधन के तरीके और प्रक्रियाएं सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्धारित की जाएंगी।

4. इस अधिनियम के उद्देश्य -

एकत्र की गई निधि की आय को एक अलग खाते में विनियोजित किया जाएगा, जिसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा: -

- (1) आपदा और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए;
- (2) मजदूरों को पुनर्वास / रोजगार प्रदान करना;
- (3) कुटीर / ग्रामोद्योग के क्षेत्र में ऐसी सभी अवसंरचनाओं का सृजन करना, लघु एवं मंझोले उद्यमों के रोजगार पैदा करना और महामारी के कारण नौकरियों के नुकसान के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को कम करना;
- (4) मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को बढ़ाने के लिए;
- (5) सामुदायिक आश्रयों / छात्रावासों / रसोई / खाद्य सुरक्षा आदि की स्थापना करना;
- (6) प्रवासी मजदूरों के परिवहन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए;
- (7) इस महामारी के कारण और इस राज्य में अन्य राज्यों से आने के कारण ऐसे सभी व्यक्तियों / परिवारों को सहायता / क्षतिपूर्ति प्रदान करना, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है;
- (8) किसान को उचित खेती के लिए ऐसी सभी आवश्यक सहायता / उपस्कर सहायता प्रदान करना;
- (9) कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना;
- (10) ऐसे सभी मजदूरों, आकस्मिक / प्रवासी मजदूरों, व्यक्तियों को सभी आवश्यक सहायता / सहयोग प्रदान करने के लिए, जिन्हें इस महामारी के दौरान रोजगार का नुकसान उठाना पड़ा या आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा या ऐसे अन्य सभी उद्देश्यों के लिए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं,

5. उपकर का निर्धारण और भुगतान-

- (1) इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर की आय को सरकार द्वारा विशेष रूप से संधारित COVID-19 PANDEMIC FUND नाम के एक अलग खाते में जमा किया जाएगा एवं इसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए विहित या निर्दिष्ट तरीके से सरकार द्वारा प्रबंधित, संवितरित और उपयोग किया जाएगा।
- (2) इस अधिनियम के तहत देय उपकर का निर्धारण विहित प्राधिकार द्वारा धारा 3 और अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- (3) धारक द्वारा डिस्पैच के समय विहित दर/दरों पर रन-ऑफ-माइन / खनिजों की मात्रा पर खनिज असर भूमि पर उपकर की राशि देय होगी,
- (4) उस स्थिति में जहां धारक उपकर के भुगतान के बिना रन-ऑफ-माइन / खनिजों का प्रेषण करता है, देय उपकर के मूल्यांकन में कोई भिन्नता होने पर निर्धारित प्राधिकार विहित प्रक्रिया के अनुरूप उपकर के ऐसे

मूल्य पर 3% प्रति माह से अधिक नहीं के अंश पर ब्याज के साथ उपकर के भुगतान के लिए धारक, को नोटिस निर्गत करेगा।

स्पष्टीकरण- शब्द, "उपकर देय" का अर्थ होगा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धारा 3 के तहत देय कोई भी उपकर, लेकिन विहित तिथि के पश्चात भुगतेय नहीं और उस तारीख की समाप्ति के बाद भी, वही जो कि इस धारा के तहत जारी किए गए मांग के नोटिस में दिया गया है।

(5) इस अधिनियम के तहत धारक के पंजीकरण के उद्देश्य से; धारक का अर्थ है खनिज अधिकार अर्थात् खनन या खदान का पट्टा या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत खनिज धारित भूमि (ओं) का अन्वेषण समानुदान या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; और पट्टेदार / डीमड पट्टेदार / आबंटित जिसके तहत वे पहले से ही संबंधित खनन कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, इस समय इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन लागू होंगे।

6. अपील: -

धारा 5 के तहत मांग के नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति, धारा 5 की उपधारा (4) के तहत उक्त नोटिस की तामिला की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर, विहित प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकता है एवं उक्त प्राधिकार अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है, और जो धारा 5 के प्रावधानों के अधीन हो सकता है, अंतिम हो जाएगा।

7. पुनरीक्षण: -

सरकार स्वप्रेरणा से अथवा धारा-6 के अंतर्गत पारित किये गये आदेश से पीड़ित व्यक्ति द्वारा नब्बे दिनों के भीतर दायर किये गये पुनरीक्षण याचिका पर इस अधिनियम के तहत, ऐसे आदेश (ओं) की शुद्धता, वैधता या स्वामित्व के रूप में या इस तरह की कार्यवाही की नियमितता के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किये गये आदेश अथवा चलाये गये कार्यवाही से संबंधित अभिलेख की मांग कर सकता है तथा समीक्षा कर सकता है और अगर किसी भी मामले में सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस तरह के आदेश या कार्यवाही को संशोधित, रद्द, उलटना या पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए तदनुसार आदेश पारित कर सकते हैं:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

8. उपकर की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में -

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत देय और या निर्धारित किए गए उपकर, लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट और या विहित समय के भीतर भुगतान नहीं किए गए, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।

9. छूट: -

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या समीचीन है, यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी धारक अथवा धारक के वर्ग के संबंध में पूर्ण या आंशिक रूप से उपकर भुगतान का छूट दे सकता है जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

10. अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियां-

- (1) अधिनियम में संलग्न अनुसूची में किसी भी वस्तु या दर को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जोड़ या हटा या संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।
- (2) सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस तरह के परिपत्र या निर्देश या विनियम जारी कर सकती है।

11. नियम बनाने की शक्ति: -

- (1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति के पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्-
 - (i) धारा 3 के अंतर्गत उपकर लगाने वाले प्राधिकार या धारा -5 के तहत ब्याज निर्धारित करनेवाले प्राधिकार और इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर को एकत्र करने की प्रणाली;
 - (ii) शासी निकाय का गठन और कार्य, इसके सदस्यों के कार्य करने का तौर तरीका और इसके कार्य के संचालन की प्रक्रिया;
 - (iii) धारक द्वारा लेखा तथा पंजियों को खनिज निक्षेपित भूमि या कार्यालय में संधारित करने
 - (iv) इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर का मूल्यांकन और संग्रह;
 - (v) उपकर के भुगतान के प्राप्ति के लिए प्रपत्र; तथा
 - (vi) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना पड़ सकता है।
- (3) इस धारा के तहत बनाए गए नियम इस अधिनियम के ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित सीमा तक दंड प्रदान कर सकते हैं: -
 - (i) उपकर की चोरी या परिहार के मामलों में, उपकर की चोरी या परिहार की दोगुनी राशि की सीमा तक या, जैसा कि मामला हो;
- (4) इस धारा के अधीन बना सभी नियम, बनने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के सदन, में जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की कालावधि तक, जो एक सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरवर्ती सत्रों में, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में रखा जाय, उस सत्र के या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व सदन नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हों अथवा सदन सहमत हों कि नियम बनाया ही न जाय, तो तदुपरांत नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा
- (12) अन्य कानूनों के तहत धारक की देयता प्रभावित नहीं: -

इस अधिनियम में निहित कुछ भी, इस अधिनियम के तहत उपकर के भुगतान के लिए धारक के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जो कि किसी अन्य कानून के तहत लागू होता है।

(13) सद्भावना में किया गया कार्य -

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार या कोई पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध इस अधिनियम या नियम के अंतर्गत साफ नियत या कथित रूप से या अभिप्रेत से किये गये कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दिवानी या फौजदारी या कोई अन्य कार्यवाही नहीं चलाया जायेगा।

(14) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक -

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कोई कार्य, की गई कार्रवाई, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, निदेश, अनुदेश या दिशा निदेश कोई भी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय को छोड़कर) किसी भी मुकदमे या किसी भी चीज़ के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगी,

(15) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति: -

यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने पर, कुछ भी कर सकती है:

बशर्ते, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी कठिनाई को दूर करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

16. निरसन और बचत: -

- (i) झारखंड खनिज असर भूमि (कोविड -19 महामारी) सेस अध्यादेश, 2020 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (ii) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था जब ऐसा कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-04/2020-384/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-07/11/2020 को अनुमत झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर अधिनियम, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Mineral Bearing Land (Covid-19 Pandemic) Act, 2020

(Jharkhand Act No. 06, 2020)

An Act, to enact MINERAL BEARING LANDS (COVID-19 PANDEMIC) CESS ACT, 2020, in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

An Act to provide the levy of cess on mineral bearing land for the rehabilitation/employment of labourers/ migrant labourers, creating infrastructures in the field of cottage/village industries, msme, creating employment opportunities, mitigating the hardships caused due to loss of jobs, augmenting the existing health infrastructures and for other necessary purposes in the state of jharkhand arising out of disaster by way of covid-19 pandemic.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventy First year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement:** -

- (1) This Act may be called the Jharkhand Mineral Bearing Lands (Covid-19 Pandemic) Cess Act, 2020.
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. **Definitions:** -In this Act, unless the context otherwise requires :-

- (1) **“Authorities”** means the authorities as prescribed to carry out the purposes of this Act;
- (2) **“Cess”** means the cess levied under section 3 of this Act, for the purposes provided in section-4;

- (3) “**Disaster**” means a catastrophe, epidemic/pandemic, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life, loss of employment or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;
- (4) “**Despatch**” means despatch of such Run-of-mine/minerals as specified in the Schedule appended to this Act, by the holder to any place outside the mineral bearing land;
- (5) “**Epidemic**” means the occurrence in the state, cases of an illness, specific health related behaviour, or other health related events clearly in excess of normal expectancy and includes COVID-19;
- (6) “**Fund**” means, a fund created for the purposes of depositing the proceeds of cessas “**Covid-19 Pandemic Fund**”; to carry out the purposes as specified in Section 4 of this Act; and shall be utilised in the manner as prescribed;
- (7) “**Government**” means the State Government of Jharkhand;
- (8) “**Governing Body**” means a body of such authorities, as constituted by the State Government to carry out the purposes of this Act, as prescribed;
- (9) “**Holder**” means the holder of mining or quarry lease or exploring license or prospecting license of the mineral bearing land(s);
- (10) “**Mineral Bearing Land**” means holding or holdings of land comprising the area of a land either allocated or granted or deemed to be granted for mineral right i.e. mining or quarry lease or exploring license or prospecting license or petroleum mining lease under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959;

- (11) **“Mineral Produce”** means a produce of mineral specified in the Schedule, appended to this Act;
- (12) **“Mineral Right”** means rights conferred on a lessee/deemed lessee under a mining lease or quarry lease or exploring license or prospecting license or petroleum mining lease granted or renewed under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959;
- (13) **“Notification”** means a notification as published in the Official Gazette of the State;
- (14) **“Prescribed”** means prescribed by rules made under this Act;
- (15) **“Section”** means the section(s) under this Act
- (16) **“State”** means the State of Jharkhand;
- (17) **“Schedule”** means the Schedule appended to this Act; and

Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as defined in all the respective Minerals Act(s) and all the respective Rules, including the Disaster Management Act 2005 (Central Act No. 53 of 2005); as assigned to them under all those such Acts; Rules; Notifications or Regulations made or issued thereunder.

3. Levy and collection of cess on mineral bearing land-

- (1) Subject to any limitation imposed by Parliament by law relating to mineral development, there shall be levied and collected, in such manner as may be prescribed, a COVID-19 cess on mineral bearing land in respect of such mineral and at such rates, not exceeding rupees one hundred per tonne/cubic metres, as the case may be; on despatch of such Run-of-mine/mineral, as may be specified in the Schedule appended to this Act, by the State Government from time to time.

- (2) The cess levied under sub- section (1) shall be payable by the holder on despatch of Run-of-mine/mineral in such manner as may be prescribed.
- (3) The proceeds of the Cess shall be credited into the Fund to be known as COVID-19 PANDEMIC FUND.
- (4) The Levy of cess under this Act shall be valid for three years from the date of the commencement of this Act;
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) of this section, the State Government through a notification and for the reasons to be recorded and upon recommendation of the governing body, may extend the levy of cess under this Act, for another one year and also for the succeeding year(s);
- (6) The manner and the procedures for managing the “Fund”, shall be specified or prescribed by the Government.

4. Purposes and objectives of this Act–

The proceeds of the fund so collected shall be appropriated into a separate account, which shall be used for the following purposes:-

- (11) to mitigate the impact of disaster and epidemic;
- (12) to provide the rehabilitation/employment to labourers;
- (13) to create all such infrastructures in the field of Cottage/village Industries, MSME generating employment and mitigating the hardships caused due to loss of jobs due to the pandemic;
- (14) to augment the existing health infrastructures;
- (15) to establish the community shelters/dormitories/kitchens/food securities etc;
- (16) to meet the expenses for transporting the migrating labourers;
- (17) to provide support/compensate all such persons/families who have lost their lives, on account of this epidemic and or during their movement from other states into the state;
- (18) to provide all such necessary help/logistic support for proper cultivation to the Agriculturist;

- (19) to provide necessary logistic support for marketability of Agriculture produces;
- (20) to provide all necessary assistance/support to all such labourers, casual/migrant labourers, persons, who suffered loss of employment or suffered pecuniary losses during this epidemic or and for all such other purposes as the Government may specify, from time to time in the state.

5. **Determination and Payment of Cess-**

- (6) The proceeds of the cess levied under this Act shall be credited into a separate account to be known as COVID-19 PANDEMIC FUND, especially maintained by the Government in this behalf and shall be, managed, disbursed and to be utilized by the Government for the purposes as prescribed under the provisions of this Act; in the prescribed or specified manner.
- (7) The cess payable under this Act shall be assessed in accordance with the provisions of section 3 and the Rules made thereunder, by the prescribed authority.
- (8) The amount of cess on mineral bearing land at such rate(s) as may be specified shall be payable by the holder on the quantity of such Run-of-mine/minerals as made at the time of despatch of such Run-of-mine/minerals from mineral bearing land by such date as prescribed.
- (9) In case where the holder despatch the Run-of-mine/minerals without payment of cess, or as the case may be any variation in the assessment of cess payable, the prescribed authority shall cause to issue a notice of demand served upon the holder for payment of the cess due along with an interest at the rate of not exceeding 3% per month or part thereof on such value of cess due, in such manner as may be prescribed.

Explanation- The words, “cess due”; for the purpose of this Act shall mean any cess payable under section 3, but not paid after the prescribed due date, and also after expiry of such date, as provided in notice of Demand as issued under this section.

- (10) For the purpose of registration of the holder, under this Act; the holder means holder of mineral right i.e. mining or quarry lease or exploring license or prospecting license of the mineral bearing land(s) under the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Coking Coal

Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas Rules, 1959; and lessee/deemed lessee/allocated under which they are already registered under the respective mining laws for the time being in force, shall apply mutatis mutandis for the purpose of this Act.

6. Appeal: -

Any person aggrieved by the notice of demand under section 5, may, within sixty (60) days from the date of service of the said notice under sub-section (iv) of section 5 thereof, appeal to such authority as may be prescribed and the said authority may pass such orders on the appeal as it thinks fit, and which may be , subject to the provisions of section 5, become final.

7. Revision: -

The Government may, either suo-moto or on receipt of a revision petition filed within ninety days by any person aggrieved by an order passed under section 6, call for and examine the record relating to any order passed or proceedings taken by any officer or authority under this Act, for the purpose of satisfying themselves as to the correctness, legality or propriety of such order(s) or as to the regularity of such proceedings and if in any case it appears to the Government that such order or proceedings should be modified, annulled, reversed or remanded for reconsideration, they may pass orders accordingly:

Provided that no order adversely affecting any person, shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

8. Cess to be recovered as arrear of land revenue—

The cess due payable and or determined under section 5 of this Act, but not paid within the specified and or prescribed time under this Act, shall be recovered as arrears of land revenue.

9. Exemptions:-

Notwithstanding anything contained in this Act, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may by notification in the Official Gazette, exempt cess, fully or partially, in respect of any holder or any class of holder as may be specified in the notification.

10. Powers to amend the Schedule-

1) The State Government may, by notification, add to or delete or amend or alter any of the items or rate(s) in the Schedule appended to this Act.

- 2) The Government may issue such circulars or directions or regulations to carry out the purposes of this Act.

11. Power to make Rules: -

- (5) The Government may, by notification in the Official Gazette, make Rules for carrying out the purposes of this Act.
- (6) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely-
- i. The authorities which may impose cess under section 3 or interest under Section-5 and the manner in which the cess levied under this Act shall be collected;
 - ii. The constitution and functions of the Governing body, the term of office of its members, and the procedure for the conduct of its business;
 - iii. The manner in which accounts shall be kept and registers to be maintained by the holder at the Mineral Bearing Land or at the office the holder.
 - iv. the assessment and collection of the cess levied under this Act;
 - v. The form of receipts for payment of the cess; and
 - vi. Any other matter that may have to be prescribed.
- (7) The Rules made under this section may provide penalty for contravention of such provisions of this Act to the following extent, namely:-
- i. in cases of evasion or avoidance of cess, to the extent of double the amount of cess evaded or, as the case may be, avoided;
- (8) All Rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which they are so laid or in the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the

case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

12. Liability of the holder under other laws not affected:-

Nothing contained in this Act, shall affect the liability of the holder for the payment of cess under this Act, to that of under any other law(s) for the time being in force.

13. Action taken in good faith. —

No suit or prosecution or other proceeding shall lie in any court against the prescribed authorities or any officer or employee of the State Government, in respect of any work done or purported to have been done or intended to be done in good faith by such authority or Government or such officer or employee under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

14. Bar of jurisdiction of court. —

No court (except the Supreme Court or a High Court) shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything done, action taken, orders made, direction, instruction or guidelines issued by the State Government in pursuance of any power conferred by, or in relation to its functions, by this Act.

15. Power to remove difficulties:-

If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act the Government may, by general or special order, do anything not inconsistent with provisions of this Act for the purpose of removing the difficulty:

Provided, no order of removal of such difficulty shall be made after the expiry of the period of two years from the date the commencement of this Act.

16. Repeal and Saving :-

- (i) The Jharkhand Mineral bearing lands (Covid-19 Pandemic) Cess Ordinance, 2020 is hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have done or taken under this Act, as if, this Act was in force when such Act was done or action was taken.

THE SCHEDULE

(See sections 2(4) and 3(1))

S. Nos.	Classification of Mineral bearing land	Rate of Cess*
1	Coal bearing land	Rs. 10/- per metric tonnes of coal dispatch
2	Iron ore bearing land	Rs. 5/- per metric tonnes of Iron ore dispatch.
3	Bauxite bearing land	Rs. 20/- per metric tonne of bauxite dispatch.
4	Limestone bearing land	Rs. 10/- per metric tonnes of limestone dispatch.
5	Manganese ore bearing land	Rs. 5/- per metric tonnes of manganese ore dispatch.

- * 1. Name of Minerals as specified in the Second Schedule under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957) (Major Minerals).
2. Rates of cess are irrespective of their Grade/Properties.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
